

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संचिका सं०- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-01/2026.....2245

प्रेषक,

सुहर्ष भगत, भा० प्र० से०
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बन्दोबस्त पदाधिकारी,

पटना / बक्सर / सारण (छपरा) / मुजफ्फरपुर / समस्तीपुर / दरभंगा /
गया जी / वैशाली (हाजीपुर) / पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) /
भोजपुर (आरा) / औरंगाबाद / गोपालगंज / भागलपुर / कैमूर (भभूआ) /
सिवान / मधुबनी / रोहतास / नवादा / बाँका / शिवहर / सहरसा / बेगूसराय /
लखीसराय / जहानाबाद / अरवल / किशनगंज /
अररिया / कटिहार / सीतामढ़ी / सुपौल / मधेपुरा / जमुई / शेखपुरा /
नालन्दा / पश्चिम चम्पारण (बेतिया) / पूर्णियाँ / खगड़िया / मुंगेर /

पटना दिनांक :- 09/07/2026

विषय :-

मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष -0101- सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि माह मार्च 2026 से जून 2026 तक प्राप्त अधियाचना के आलोक में आपके नियंत्रणाधीन कार्यालय में संविदा सेवाएँ मद में निदेशालय आवंटन आदेश संख्या 1184 दिनांक 13.04.2026 एवं आदेश संख्या 1499 दिनांक 06.05.2026 द्वारा राशि आवंटित की गई तथा शेष अधियाचित राशि में प्राप्त आवंटन अनुसार कुल - **94,57,89,110/- (चौरानवें करोड़ सन्तावन लाख नवासी हजार एक सौ दस) रूपये मात्र** का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया जाता है :-


क्र०स०	कार्यालय का नाम	28 02 संविदा सेवाएँ
1	2	3
1	बन्दोबस्त कार्यालय, पटना	31590000.00
2	बन्दोबस्त कार्यालय, बक्सर	24903450.00
3	बन्दोबस्त कार्यालय, सारण (छपरा)	41693000.00
4	बन्दोबस्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर	36082800.00
5	बन्दोबस्त कार्यालय, समस्तीपुर	26948610.00
6	बन्दोबस्त कार्यालय, दरभंगा	29250000.00
7	बन्दोबस्त कार्यालय, गया जी	52650000.00
8	बन्दोबस्त कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर)	35100000.00

क्र०स०	कार्यालय का नाम	28 02 संविदा सेवाएँ
1	2	3
9	बन्दोबस्त कार्यालय, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)	23400000.00
10	बन्दोबस्त कार्यालय, भोजपुर (आरा)	24695190.00
11	बन्दोबस्त कार्यालय, औरंगाबाद	31531500.00
12	बन्दोबस्त कार्यालय, गोपालगंज	50310000.00
13	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	30420000.00
14	बन्दोबस्त कार्यालय, कैमूर	28372500.00
15	बन्दोबस्त कार्यालय, सिवान	27877700.00
16	बन्दोबस्त कार्यालय, मधुबनी	21352500.00
17	बन्दोबस्त कार्यालय, रोहतास	37059750.00
18	बन्दोबस्त कार्यालय, नवादा	31471600.00
19	बन्दोबस्त कार्यालय, बाँका	35100000.00
20	बन्दोबस्त कार्यालय, शिवहर	4680000.00
21	बन्दोबस्त कार्यालय, सहरसा	11583000.00
22	बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय	21937500.00
23	बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय	17550000.00
24	बन्दोबस्त कार्यालय, जहानाबाद	11641500.00
25	बन्दोबस्त कार्यालय, अरवल	14040000.00
26	बन्दोबस्त कार्यालय, किशनगंज	9769500.00
27	बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया	14625000.00
28	बन्दोबस्त कार्यालय, कटिहार	29250000.00
29	बन्दोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी	20537010.00
30	बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल	14994800.00
31	बन्दोबस्त कार्यालय, मधेपुरा	12870000.00
32	बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई	23400000.00
33	बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा	5878800.00
34	बन्दोबस्त कार्यालय, नालन्दा	29250000.00
35	बन्दोबस्त कार्यालय, प०चम्पारण (बेतिया)	25540700.00
36	बन्दोबस्त कार्यालय, पूर्णियाँ	29250000.00
37	बन्दोबस्त कार्यालय, खगड़िया	5782700.00
38	बन्दोबस्त कार्यालय, मुंगेर	23400000.00
कुल योग :-		945789110.00

(चौरानवें करोड़ सन्तावन लाख नवासी हजार एक सौ दस) रूपये मात्र

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक – 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 706 दिनांक 26.02.2026 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
3. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या – 40 एवं विपत्र कोड 40— 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।
6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
9. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की माँग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
10. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन


(सुहर्ष भगत) 03/08/26

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप
पटना, दिनांक :- 09/07/26

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-01/2026..... 2245

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक 09/07/26

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-01/2026.....²²⁴⁵ पटना, दिनांक : 09/07/2026
प्रतिलिपि:- संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Subash
निदेशक 09/07/26

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-01/2026.....²²⁴⁵ पटना, दिनांक : 09/07/2026
प्रतिलिपि :- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Subash
निदेशक 09/07/26

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-01/2026.....²²⁴⁵ पटना, दिनांक : 09/07/2026
प्रतिलिपि :- प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

Subash
निदेशक 09/07/26
भू-अभिलेख एवं परिमाप